मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांकः–मु0अ0–4–प0पु0–01–414 / 24 194 अनु0 दिनांकः– 05/02/2025

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ),
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **मधेपुरा।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **वीरपुर** के अधीन **शीर्ष MMGSY(AWSESH)NDB** अन्तर्गत **MMGSY-NDB-BRRP2-645-7N-VIRPUR (टेन्डर आई0डी0–137633) पथ निर्माण कार्य** के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **वीरपुर** के अधीन **शीर्ष MMGSY(AWSESH)NDB** अन्तर्गत **MMGSY-NDB-BRRP2-645-7N-VIRPUR पथ निर्माण कार्य (टेन्डर आई0डी0–137633)** आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **वीरपुर** के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Ramanand Prasad Raman(Bid ID-602387)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर / राशि से **21.37 (इक्कीस दशमलव तीन सात) प्रतिशत** कम पर अर्थात **8,57,14,389.00 (आठ करोड़ सनतावन लाख चौदह हजार तीन सौ नवासी)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर **अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना** के **पत्रांक–BRRDA(HQ)MMGSY-NDB-172/24 130**अनु0 / पटना,दिनांक–**29.01.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
2. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0 / किसान विकास पत्र / बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर / बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
4. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा। साथ ही साथ यंत्र–सयंत्र निर्धारित अवधि के अन्दर स्थल पर स्थापित कराना सुनिश्चित कराए।
5. कार्य में व्यवहरित सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें।
8. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता एवं संवदक कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची / काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
10. सफल संवेदक के साथ शीधातिशीध्र एकरारनामा निर्धारित अवधि के अन्दर कर लेंगे। समय सीमा के अन्दर एकरारनामा नहीं करने पर अरनेस्ट मनी की राशि जब्त कर पुनर्निविदा की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
11. इस कार्य का व्यय **शीर्ष MMGSY(AWSESH)NDB** से विकलित होगा।
12. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
13. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगें।
14. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
16. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय।
17. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
19. अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं स्वीकृत प्राक्कलन की प्रत्येक बिन्दू की जाँच कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी। परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि अनुशेष सीमा से अधिक होने पर एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
20. किसी भी परिस्थिति में निजी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 05/02/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

पटना, दिनांकः- 05/02/2025

ज्ञापांकः- 194

प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/- 05/02/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

पटना, दिनांकः- 05/02/2025

ज्ञापांकः- 194

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **वीरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05/02/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

पटना, दिनांकः- 05/02/2025

ज्ञापांकः- 194

प्रतिलिपिः-नोडल पदाधिकारी, **MMGSY,** ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)